सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद।

पत्रांक अधिष्ठान/ 3493 /2011–12 दिनांक 12 अक्टूबर, 2011

विषयः **सर्व शिक्षा अभियान के सप्लीमेन्ट्री प्लान 2011–12 में सभी वर्ग की बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बालकों को निःशुल्क युनिफार्म उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं तत्सम्बन्धी राज्य सरकार की नियमावली 2011 के परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान के सप्लीमेन्ट्री प्लान 2011–12 में भारत सरकार द्वारा राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 01 से 08 तक की सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के समस्त बालकों को निःशुल्क युनिफार्म दिये जाने हेतु प्रति छात्र–छात्रा दो सेट युनिफार्म हेतु ₹ 400/– की दर से कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। सम्प्रति उक्त श्रेणी के छात्र–छात्राओं हेतु एक सेट युनिफार्म उपलब्ध कराने हेतु ₹ 200/– प्रति छात्र–छात्रा की दर से धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जा रही है जिसका जनपदवार विवरण संलग्न है।

आवंटित बजट की धनराशि का उपयोग किये जाने हेतु निर्देश निम्नवत हैं :–

1. उपरोक्त श्रेणी के विद्यालयों मे कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बी0पी0एल0 परिवार के बालको को 01 सेट निःशुल्क युनिफार्म प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जाये।
2. निःशुल्क युनिफार्म की धनराशि ग्राम शिक्षा शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति के खातों में उपलब्ध करायी जायेगी। युनिफार्म की आपूर्ति हेतु कार्यवाही विकेन्द्रीकृत रूप में विद्यालय की क्रय समिति द्वारा की जायेगी। किसी भी स्थिति में निःशुल्क युनिफार्म के क्रय की कार्यवाही का केन्द्रीकरण नही किया जायेगा।
3. युनिफार्म का रंग तथा स्पेसिफिकेशन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांकः बे0शि0प0/17451–539/2005–06 दिनांक 02.12.2005 के अनुसार रखा जायेगा। (छायाप्रति संलग्न)
4. युनिफार्म की आपूर्ति हेतु विद्यालय की क्रय समिति में ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष, विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष रहेंगे। यह समिति कम से कम 03 आपूर्तिकर्ताओं को युनिफार्म का स्पेसिफिकेशन तथा कक्षा 1–5 एवं कक्षा 6–8 के बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक संख्या का उल्लेख करते हुए कोटेशन मांगेगी। आपूर्तिकर्ताओं से दर तथा कपड़े और युनिफार्म का सैम्पल भी मांगा जायेगा। क्रय समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्र–छात्राओं को उत्तम गुणवत्ता की युनिफार्म उपलब्ध करायी जाये।
5. कोटेशनदाताओ द्वारा उपलब्ध कराये गये कोटेशन तथा कपड़ा/युनिफार्म का मूल्यांकन विद्यालय की क्रय समिति द्वारा किया जायेगा तथा प्राप्त कोटेशनों के आधार पर तुलनात्मक तालिका बनायी जायेगी तथा उसके आधार पर निःशुल्क युनिफार्म हेतु क्रयादेश न्यूनतम दर वाले आपूर्तिकर्ता को दिया जायेगा।

फोन:2780995,2781316फैक्स:0522–2781123,2780996,2781316ईमेल:spdup@rediffmail.com;upefa@upefa.com;upedulko@eth.r

6 युनिफार्म की सिलाई से पूर्व प्रत्येक बच्चे की नाप टेलर द्वारा ली जायेगी जिससे युनीफार्म की फिटिंग उत्तम हो।

7. यदि आपूर्ति किये गये युनिफार्म तथा पूर्व से निर्धारित स्पेसिफिकेशन सैम्पल में मेल नही होगा तो उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

8. समय से तथा शर्तो के अनुसार युनिफार्म न उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता पर पेनाल्टी लगाये जाने का प्रावधान किया जायेगा।

9. सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय नियमों के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय निगमों, संस्थाओं एवं राज्य/केन्द्रीय संस्थाओं को आपूर्ति हेतु कोई प्राथमिकता नही दी जायेगी।

10 निःशुल्क युनिफार्म का भुगतान आपूर्तिकर्ता को एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा।

11. निःशुल्क युनिफार्म से सम्बन्धित लेखों का रख–रखाव विद्यालय की क्रय समिति द्वारा किया जायेगा।

12. सिले हुए युनिफार्म का तकनीकी निरीक्षण/परीक्षण विद्यालय की समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें स्कूल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक एवं एक अन्य सदस्य सम्मिलित होगें। विद्यालय में प्राप्त समस्त युनिफार्म का सर्वप्रथम स्टाक रजिस्टर में अंकन किया जायेगा तथा बच्चों को युनिफार्म रजिस्टर में उनके माता–पिता/अविभावक के हस्ताक्षर कराने के उपरान्त दी जायेगी।

13. निःशुल्क युनिफार्म हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र विद्यालय की क्रय समिति द्वारा 31 मार्च, 2012 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

14. निःशुल्क युनिफार्म से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव सम्यक प्रकार से इस तरह किया जायेगा कि सम्परीक्षा/अनुश्रवण के समय प्रस्तुत किया जा सके।

15. युनिफार्म के क्रय के सम्बन्ध में सर्व शिक्षा अभियान के प्रोक्योरमेन्ट एवं वित्तीय मैनुअल के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बालकों को 01 सेट युनिफार्म एक माह के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत करायें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0 अधिष्ठान/युनिफार्म/ 3493 / 2011–12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल उ0प्र0।
2. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0।

2.10.11
(डी0 बी0 शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

नि:शुल्क यूनिफार्म हेतु बजट का जिलेवार विवरण:-

क्र0सं0	जिला	छात्र संख्या (सभी बालिकाएं अनु0जाति/अनु0ज0जाति तथा बी0पी0एल परिवार के छात्र)	प्रति छात्र@ ₹ 200/- की दर से आवंटित धनराशि
1	आगरा	356550	71310000
2	अलीगढ़	220976	44195200
3	इलाहाबाद	443642	88728400
4	अम्बेडकर नगर	210273	42054600
5	औरैया	115101	23020200
6	आजमगढ़	384273	76854600
7	बदायूँ	293880	58776000
8	बागपत	66268	13253600
9	बहराइच	425941	85188200
10	बलिया	337571	67514200
11	बलरामपुर	150238	30047600
12	बॉदा	205459	41091800
13	बाराबंकी	342161	68432200
14	बरेली	248099	49619800
15	बस्ती	232869	46573800
16	भदोही(सन्तरविदास नगर)	157866	31573200
17	बिजनौर	224411	44882200
18	बुलन्द शहर	215203	43040600
19	चन्दौली	221241	44248200
20	छत्रपति शाहू महराजनगर	271438	54287600
21	चित्रकूट	124078	24815600
22	देवरिया	384235	76847000
23	एटा	169470	33894000
24	इटावा	115781	23156200
25	फैजाबाद	264824	52964800
26	फर्रूखाबाद	171349	34269800
27	फतेहपुर	250832	50166400
28	फिरोजाबाद	147923	29584600
29	गौतमबुद्ध नगर	65061	13012200
30	गाजियाबाद	131888	26377600
31	गाजीपुर	394821	78964200
32	गोण्डा	282481	56496200
33	गोरखपुर	368547	73709400
34	हमीरपुर	100359	20071800
35	हरदोई	496450	99290000

36	हाथरस(महामायानगर)	178521	35704200
37	जालौन	153818	30763600
38	जौनपुर	548412	109682400
39	झांसी	144682	28936400
40	जे0पी0नगर	119673	23934600
41	कन्नौज	172113	34422600
42	कानपुर देहात(रमाबाईनगर)	169005	33801000
43	कानपुर नगर	226117	45223400
44	काशीराम नगर	144470	28894000
45	कौशाम्बी	166631	33326200
46	कुशीनगर	383942	76788400
47	लखीमपुर	467855	93571000
48	ललितपुर	138595	27719000
49	लखनऊ	254143	50828600
50	महराजगंज	276207	55241400
51	महोबा	95529	19105800
52	मैनपुरी	154761	30952200
53	मथुरा	202348	40469600
54	मऊ	170273	34054600
55	मेरठ	142038	28407600
56	मिर्जापुर	309096	61819200
57	मुरादाबाद	309931	61986200
58	मुजफ्फर नगर	155368	31073600
59	पीलीभीत	172056	34411200
60	प्रतापगढ़	237740	47548000
61	रायबरेली	271930	54386000
62	रामपुर	171694	34338800
63	सहारनपुर	191608	38321600
64	सन्त कबीर नगर	192105	38421000
65	शाहजहाँपुर	396518	79303600
66	सिद्धार्थ नगर	245775	49155000
67	सीतापुर	619415	123883000
68	सोनभद्र	196925	39385000
69	श्रावस्ती	148307	29661400
70	सुल्तानपुर	315239	63047800
71	उन्नाव	292306	58461200
72	वाराणसी	312065	62413000
	योग	**17438815**	**3487763000**

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश ।

2– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक बे0शि0प0/17451-539 /2005–06 दिनांक 02 दिसम्बर, 2005

विषय– उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु यूनीफार्म का निर्धारण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं हेतु यूनीफार्म के संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व पत्रांक बे0शि0प0/शि–3/13921–14008/2002–03 दिनांक 16–12–2002 का संदर्भ लें जिसके आधार पर संबंधित विद्यालयों में यूनीफार्म लागू करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त पत्र द्वारा निर्देशित यूनीफार्म के स्थान पर शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या –4467/79–5–2005 दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के क्रम में यूनीफार्म का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:–

कक्षा– 1 से 5 तक	बालकों के लिए डार्क ग्रे पैन्ट तथा आसमानी रंग की कमीज । बालिकाओं के लिए डार्क ग्रे स्कर्ट तथा आसमानी रंग की कमीज ।
कक्षा 6 से 8 तक	बालकों के लिए डार्क ग्रे पैन्ट तथा आसमानी रंग की कमीज । बालिकाओं के लिए सफेद रंग की सलवार तथा आसमानी रंग का कुर्ता अथवा डार्क ग्रे स्कर्ट व आसमानी रंग की कमीज ।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विद्यालयों में निर्धारित यूनीफार्म हेतु अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

2.12.05

डा0(आई0पी0शर्मा)
सचिव,
उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद

पृ0सं0बे0शि0प0/ 17451-539/2005-06 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन निशातगंज, लखनऊ ।

2– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-5 अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ ।

2.12.05

डा0(आर0पी0शर्मा)
सचिव
उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद ।